न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94 / 2018

1 धोलूराम पुत्र पोखर उम्र 60 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 भूराराम पुत्र छीतरमल।
2 नन्दलाल पुत्र भूराराम।
3 प्रभात पुत्र भूराराम।
4 संतोष पुत्री भूराराम।
5 ज्ञानी पुत्री भूराराम।
6 जीवा पुत्री भूराराम।
7 मुन्नी पुत्री भूराराम।
8 पांची पुत्री भूराराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 ओमप्रकाश पुत्र भोलूराम।
10 गोकुल पुत्र धूड़ाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण नाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 कमला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 सुखदेवी पत्नी लादुराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 मंगलाराम पुत्र पोखर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 रामेश्वर पुत्र पोखर।
17 मोहन पुत्र पोखर।
18 रामस्वरूप पुत्र पोखर समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 27/2007 बउनवानी भूराराम बनाम मंगलाराम आदि दिनांक 26.02.2008

अपील संख्या 95/2018

1 धोलूराम पुत्र पोखर उम्र 60 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूराराम पुत्र छीतरमल।
2 नन्दलाल पुत्र भूराराम।
3 प्रभात पुत्र भूराराम।
4 संतोष पुत्री भूराराम।
5 ज्ञानी पुत्री भूराराम।
6 जीवा पुत्री भूराराम।
7 मुन्नी पुत्री भूराराम।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 पांची पुत्री भूराराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 ओमप्रकाश पुत्र भोलूराम।
10 गोकुल पुत्र धूड़ाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण नाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 कमला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 सुखदेवी पत्नी लादुराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 मंगलाराम पुत्र पोखर।
16 रामेश्वर पुत्र पोखर।
17 मोहन पुत्र पोखर।
18 रामस्वरूप पुत्र पोखर समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 24.02.2009 एंव तदन्तर्गत संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 27/2007 बउनवानी भूराराम बनाम मंगलाराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 18-2-20

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2007 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2009 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 12.12.2012, दिनांक 26.02.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1552/1120 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1551/1120 रकबा 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1582 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1553 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.86 हैक्टेर अवस्थित है। भूमियां खसरा नम्बर 1552/1120 रकबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1551/1120 रकबा 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 6.83 हैक्टेयर का ही भाग रही है। भूमि खसरा नम्बर 1151/1120 संपरिवर्तन के पश्चात खसरा नम्बर 1120 में से ही एक खसरा नम्बर के रूप में रही है। उपरोक्त भूमियों के 3/4 हक, हिस्से के रिकार्डेड काबिज, खातेदार काश्तकार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 लगायत 18 है। शेष 1/4 हक, हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 का है, जिसमें से उसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 10 तथा रेस्पोडेंट संख्या 12 के हक में अवैध हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाये गये है तथा रेस्पोडेंट संख्या 10 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 11 के हक में अवैध हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित एंव पजीकृत करवाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.02.2007 को विवादित भूमियों के बंटवारे एंव स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के निमित अपीलाधीन वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें बिना अपीलांट की विधिवत तामील करवाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बिना तथा तामीली आदेश के बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 26.02.2008 अपीलाधीन वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई तथा दिनांक 24.02.2009 को बिना अपीलांट को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। इसके पश्चात दिनांक 12.12.2012 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निर्णय व संशोधित अंतिम डिक्री पारित कर दी गई इससे व्यथित होकर यह प्रथक प्रथक अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस की विधिवत तामील नही हुई, तामील का कोई आदेश नही हुआ, बिना तामील के विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 26.02.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें भी दिये गये आदेश की पालना नही की गई है। दिनांक 24.02.2009 को अन्तिम डिक्री जारी हुई, इजराय का आवेदन पेश हुआ, पटवारी की रिपोर्ट में वादी द्वारा दौराने वाद कई भूमियों का बेचान होने की रिपोर्ट आई, इन क्रेताओं को पक्षकार नही बनाया गया है। इनको पक्षकार बनाये बिना संशोधित विभाजन प्रस्ताव का आदेश एवं संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव हिस्से अनुसार नही है। अपीलांट को सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन आदेश पारित करवाये गये है। अपीलांट को इनकी जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद अपीले प्रस्तुत कर दी है। प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अपीले स्वीकार कि जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में भूराराम का 1/4 हिस्सा है। भूमियों का रूपान्तरण हो चुका है, आवासीय हो चुकी है, बंटवारा होने के बाद विभिन्न लोगो को बेची जा चुकी है, क्रेताओं को पट्टे मिल चुके है एवं विवादित भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय की पूर्व में अपील संख्या 19/2016 प्रभात बनाम भूरा भूरा के लड़के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो खारिज हो चुकी है। अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सम्यक तामिल नही हुई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि तामील के विरूद्व पक्षकार द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के तहत चाराजोही करनी चाहिए ऐसा नही करने पर वह पक्षकार अपील के स्तर पर तामील की आपत्ति नही उठा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई चाराजोही नही की है। अब इस बिन्दु पर अपील के स्तर पर कोई लाभ लेने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन किया है। किसी भी पक्षकार का रकबा कम नही किया है विवादित भूमि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 05.01.2017 को मौका देखा गया था। उसमें अपीलांट स्वंय उपस्थित था। ऐसी स्थिति में जानकारी नही होने का कथन मिथ्या है अपीलांट धारा 5 का लाभ नही ले सकता है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस की विधिवत तामील नही हुई, तामील का कोई आदेश नही हुआ, बिना तामील के विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 26.02.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें भी दिये गये आदेश की पालना नही की गई है। दिनांक 24.02.2009 को अन्तिम डिक्री जारी हुई, इजराय का आवेदन पेश हुआ, पटवारी की रिपोर्ट में वादी द्वारा दौराने वाद कई भूमियों का बेचान होने की रिपोर्ट आई, इन क्रेताओं को पक्षकार नही बनाया गया है। इनको पक्षकार बनाये बिना संशोधित विभाजन प्रस्ताव का आदेश एवं संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। विभाजन प्रस्ताव हिस्से अनुसार नही है। अपीलांट को सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन आदेश पारित करवाये गये है।

अपीलांट को विचाराधीन प्रकरण एवं निर्णय की पूर्व में जानकारी रही हो ऐसा कोई तथ्य रेस्पोडेंट ने साबित नही किया है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18-2-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Dt. 18-2-20

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर